(वाद संख्या–4677/18)

08.09.2020

परिवादी, गिरिजा नन्दन प्रसाद सिन्हा, अनुपस्थित हैं।

प्रसंगाधीन मामला 70वर्षीय परिवादी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी हैं, के गांव–नोआवा, थाना–शकुराबाद, जिला–जहानाबाद स्थित निवास स्थान पर शकुराबाद थाना की पुलिस कर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से दिनांक–22.07.2018–23.07.2018 के रात्रि 2–3 बजे जबरदस्ती उसके घर में प्रवेश कर परिवादी व उसके परिवार के सदस्यों, जिनमें महिलायें भी हैं के साथ मारपीट करने व अभद्रता करने तथा परिवादी के भाई के घर के छत पर जाकर उत्पात करने और वहां भी परिवार के महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद ने अपने पत्रांक–290, दिनांक–05.11.2018 के द्वारा विस्तृत जांच–प्रतिवेदन समर्पित किया है। जांच–प्रतिवेदन के निष्कर्षानुसार अनुसार **‘‘थानाध्यक्ष, शकुराबाद, के द्वारा प्राप्त वारंटों को समुचित ढंग से वारंट पंजी में प्राप्त कर तामिला हेतु पदाधिकारियों को पृष्ठांकित नहीं किया गया है। बिना पृष्ठांकित हुए पदाधिकारियों को तामिला हेतु वारंट को सौंप देने की प्रकिया उचित प्रतीत नहीं होती है। इस त्रुटि के लिये थानाध्यक्ष जिम्मेवार प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ एस.ड्राइव के कम में पदाधिकारियों का प्रस्थान रात्री 03:00 बजे एवं आगमन 05:30 बजे थाना दैनिकी में दर्शाया गया है, जो स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह परिलक्षित होता है कि बिना किसी महिला पुलिस कर्मी के आवेदक (परिवादी) के घर में वारंटी अमित रंजन के तलाशी हेतु प्रवेश कर छापामारी की गयी है। इस छापामारी में त्रुटि करते हुए आवेदक के गोतिया के छत पर तलाश किया गया है और वारंटी के नहीं मिलने पर वारंटी के पिता (परिवादी) को दोषी ठहराते हुए उनके साथ जबरदस्ती किया गया, जिसके कारण महिलायें द्वारा विरोध किया गया प्रतीत**

Bihar Human Rights Commission, Patna

होता है। इस प्रकार आवेदक (परिवादी) द्वारा लगाये गये आरोप के लिये आंशिक रूप से स0अ0नि0 राम पुकार राम दोषी प्रतीत होते हैं। इस संबंध में स0अ0नि0 राम पुकार राम से स्पष्टीकरण की मांग की गई है, स्पष्टीकरण प्राप्ति पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।''

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद उक्त जांच–प्रतिवेदन के आलोक में उनसे दोषी पुलिस कर्मी (स0अ0नि0) राम पुकार राम के विरूद्ध की गयी कार्रवाई के संबंध में दिनांक–30.12.2020 के पूर्व तक प्रतिवेदन की मांग की जाय।

संचिका–05.01.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य।

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna